कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय
उत्तर प्रदेश , प्रयागराज
Office of the Pr.Accountant General (A&E)-II
Uttar Pradesh, Prayagraj

पत्रांक:- ले0ह0-2/03/नि0स0(प्र0)/ग्रुप-4/58/Vol- I/ 584. दिनांक: 29/11/2023

सेवा में,
समस्त खंडीय लेखाधिकारी/ खंडीय लेखाकार
संबन्धित खंड

विषय:- मासिक लेखा नियमित रूप से संकलित करने एवं कार्यालय को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा मासिक लेखा संकलन के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि खंडों को बंद/पुनर्गठित करने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश एवं प्रमुख अभियंता के कार्यालय आदेश के पश्चात खंडीय अधिकारियों द्वारा बंद/पुनर्गठित किए गए खण्ड/खण्डों की सूचना एवं खंड बंद करने संबंधी अनुरोध/ कार्यालय आदेश तथा संक्रमण अवधि (transition period) का मासिक लेखा इस कार्यालय को नहीं प्राप्त कराया जाता है जिसके फलस्वरूप लेखा संकलन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के क्रम में विभिन्न खंडों में कार्यरत खंडीय लेखाधिकारियों/ खंडीय लेखाकारों को यह निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा बन्द/पुनर्गठित खंडों की सूचना एवं उनके अवशेषों के नियमानुसार ट्रान्सफर के पश्चात खंडों को बंद किए जाने संबंधी आदेश/प्रपत्र इस कार्यालय को ससमय प्राप्त कराना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार ससमय उक्त खण्ड का प्राधिकार पत्र वापस लिया जा सके एवं जब तक प्राधिकार पत्र वापस नहीं लिया जाता तब तक संबन्धित खंडीय लेखाधिकारी/ खंडीय लेखाकार वित्तीय हस्त पुस्तिका में प्रदत्त लेखा संकलन के नियमों एवं अपने उत्तरदायित्वों के अनुसार खंड का मासिक लेखा (आय/व्यय शून्य होने की स्थिति में शून्य का मासिक लेखा) नियमित रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश की प्रति संबन्धित अधिशाशी अभियंता को प्राप्त कराने के साथ ही आदेश का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि°स°(प्र°)

प्रतिलिपि:-संबन्धित अधिशाशी अभियंता को इस आशय से प्रेषित कि मासिक लेखा प्रेषण से संबन्धित उक्त निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि°स°(प्र°)